बिहार सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग
कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।

(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014

संख्या व.सं. / 56 / 2021– 280

प्रेषक,

अरविन्दर सिंह, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना 14, दिनांक– 04/04/2022

विषय – मुंगेर एवं भागलपुर जिलान्तर्गत NH-80 मुंगेर–बरियारपुर–सुलतानगंज (70.150–121.025 कि०मी०) पथांश के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 31.37 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि मुंगेर एवं भागलपुर जिलान्तर्गत NH-80 मुंगेर–बरियारपुर–सुलतानगंज (70.150–121.025 कि०मी०) पथांश के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिये वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत कुल 31.37 हे० वन भूमि अपयोजन हेतु कार्यपालक अभियन्ता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, भागलपुर का प्रस्ताव वन संरक्षक, भागलपुर अंचल, भागलपुर एवं वन्यप्राणी अंचल, पटना के माध्यम से प्राप्त हुआ है। विषयांकित पथ पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 921 (ई०) दिनांक 28.08.1997 द्वारा "सुरक्षित वन" के रूप में अधिसूचित है, लेकिन भूमि का स्वामित्व पथ निर्माण विभाग का है।

2. विषयाधीन पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में कुल 31.37 हे० वन भूमि के अपयोजन एवं कुल 6017 वृक्षों के प्रभावित होने की अनुशंसा वन प्रमंडल पदाधिकारी, मुंगेर एवं भागलपुर तथा क्रमशः वन संरक्षक, वन्यप्राणी अंचल, पटना एवं भागलपुर द्वारा किया गया है जिसकी विवरणी निम्नलिखित है–

क्रम सं०	वन प्रमंडल का नाम	कि०मी०	क्षेत्रफल (हे० में)	Tranlocate किये जाने वाले वृक्षों की संख्या	पातित किये जाने वाले वृक्षों की संख्या
1	मुंगेर	70.150–93.000 =22.85	19.28	804	381
2	भागलपुर	93.000–121.025=28.025	12.09	1980	1923
		कुल	**31.37**	**2784**	**2304**

3. वृक्ष सुरक्षा योजना पर निर्णय लेने हेतु क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, भागलपुर की अध्यक्षता में दिनांक 04.03.2022 को क्षेत्रीय सक्षम समिति की बैठक आयोजित की गयी थी। बैठक की कार्यवाही वन प्रमंडल पदाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक 316 दिनांक 04.03.2022 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्राप्त हुआ है जिसमें अंकित किया गया है कि वृक्ष सुरक्षा योजना के तहत 1923 वृक्षों के पातन एवं 1980 वृक्षों का Traslocation प्रस्तावित है। इसी प्रकार निदेशक, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 25.02.2022 को क्षेत्रीय सक्षम समिति की बैठक आयोजित की गयी थी। बैठक की कार्यवाही निदेशक, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, बिहार के ज्ञापांक 271 दिनांक 04.03.2022 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्राप्त हुआ है जिसमें अंकित किया गया है कि वृक्ष सुरक्षा योजना के तहत 381 वृक्षों के पातन एवं 804 वृक्षों का Traslocation प्रस्तावित है। प्रस्ताव में उन्हीं वृक्षों का पातन प्रस्तावित है जिनका Traslocation विभिन्न कारणों से संभव नहीं है।

4. वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा भाग–II की प्रविष्टि में वनों का वानस्पतिक घनत्व क्रमशः 0.2 एवं 0.04 तथा दोनों वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा अंकित किया गया है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है। जिला पदाधिकारी, मुंगेर एवं भागलपुर से FRA, 2006 प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त अलग से भेजा जायेगा।

5. अपयोजित होने वाली वन भूमि के पथांशों को दर्शाते हुए मूल टोपो शीट नक्शा Geo-referenced नक्शा Index के साथ संलग्न किया गया हैं जो वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा हस्ताक्षरित है।

6. परियोजना निर्माण के क्रम में कुल 31.37 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वनीकरण हेतु दुगुने 62.74 हे० अर्थात् 63.00 हे० अवकृष्ट वन भूमि को वन प्रमंडल, मुंगेर के खड़गपुर प्रक्षेत्र अन्तर्गत बसविट्टी PF को चिन्हित करते हुए वृक्षारोपण का प्राक्कलन वन प्रमंडल पदाधिकारी, मुंगेर से प्राप्त की गयी है। क्षतिपूरक वनीकरण के लिये चिन्हित वन भूमि का Geo-referenced नक्शा एवं वन भूमि क्षतिपूरक वनीकरण के लिये उपर्युक्त है का प्रमाण पत्र भी प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश की कंडिका 2.5 (II) के आलोक में निम्नांकित शर्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जा सकती है–

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. 31.37 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रू० 9.57780 लाख प्रति हे० के दर से रू० 3,00,45,559/– (रूपये तीन करोड़ पैंतालीस हजार पाँच सौ उनसठ) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
3. अपयोजित होने वाली 31.37 हे० वन भूमि के बदले में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिये मुंगेर वन प्रमंडलन्तर्गत 63.00 हे० अवकृष्ट वन भूमि बसविट्टी सुरक्षित वन में चिन्हित करते हुए रू० 92,35,854/– मात्र का प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा तात्कालिक मजदूरी दर पर उपलब्ध करायी जाएगी।
4. वृक्षों का पातन विभागीय देखरेख में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने खर्च पर किया जाएगा एवं पातित काष्ठ को विभागीय वनागार तक पहुँचाया जाएगा। प्राप्त काष्ठ की नीलामी इत्यादि के लिए विभाग को 1224/– रूपये प्रति घनमीटर की दर से राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराएगी।

प्रस्ताव की दो प्रतियाँ अनुलग्नक के साथ अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु इस पत्र से संलग्न कर भेजी जा रही। **उक्त प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।**

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह०/–
(अरविन्दर सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– व.सं./56/2021–280 दिनांक– 04/04/2022

प्रतिलिपि – कार्यपालक अभियन्ता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, भागलपुर/वन प्रमंडल पदाधिकारी, मुंगेर/भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अरविन्दर सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

मुंगेर एवं भागलपुर जिलान्तर्गत NH-80 मुंगेर–बरियारपुर–सुलतानगंज (70.150–121.025 कि०मी०) पथांश के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 31.37 हे. वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव का चेक लिस्ट–

क्र० सं०	विवरणी	अभ्युक्ति
1	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र–I	संलग्न।
2	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी Undertaking	संलग्न।
3	प्रयोक्ता एजेंसी एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षरित टोपोशीट नक्शा	संलग्न।
4	वन प्रमंडल पदाधिकारी, मुंगेर एवं भागलपुर द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र–II	संलग्न।
5	वन प्रमंडल पदाधिकारी, मुंगेर एवं भागलपुर का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन	संलग्न।
6	परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि की गणना विवरणी।	संलग्न।
7	वन प्रमंडल पदाधिकारी, मुंगेर एवं भागलपुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी वृक्षों की गणना सूची।	संलग्न।
8	वन प्रमंडल पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा उपलब्ध करायी गयी क्षतिपूरक वनरोपण का प्राक्कलन।	संलग्न।
9	वन प्रमंडल पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा स्थल क्षतिपूरक वनरोपण हेतु उपयुक्त है से संबंधित प्रमाण पत्र	संलग्न।
10	क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चिन्हित वन भूमि का जियो रेफरेन्स मैप	संलग्न।
11	वन संरक्षक, वन्यप्राणी अंचल, पटना एवं भागलपुर द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र–III	संलग्न।
12	वन संरक्षक, वन्यप्राणी अंचल, पटना एवं भागलपुर द्वारा स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन	संलग्न।
13	नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र–IV	संलग्न।

30/3/22

(अरविन्दर सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण)
बिहार, पटना।